

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-2

कार्यालय ज्ञाप

1 मई, 2025 ई0

संख्या-210/17/उद्योग/2013/VII-A-2/2025-राज्यपाल, "मेगा इण्डस्ट्रीयल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021" में निम्नलिखित अग्रेतर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

प्रस्तर-vii का संशोधन- "मेगा इण्डस्ट्रीयल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021" में स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रस्तर-vii के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रस्तर प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान प्रस्तर	एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर
यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा दिनांक 31 मार्च, 2025 तक प्रवृत्त रहेगी और नीति की वैधता अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करने पर नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा।	यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा दिनांक 30 जून, 2025 अथवा नई नीति के प्रख्यापित होने तक प्रवृत्त रहेगी और नीति की वैधता अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करने पर नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा।

आज्ञा से,
विनय शंकर पाण्डेय,
सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 10-05-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 8 औ0वि0/259-10-06-2025-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।